राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प041/2019/53 दिनांक30/09/2019

–: आदेश :–

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक पं.1(1)चिस्वा/2/2019 जयपुर, दिनांक 29.09.2019 के जारी विभिन्न आदेशो मे निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षारत चिकित्सकों को आज दिनांक 30.09.2019 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत करें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक राजपत्रित/एटी/प041/2019/53 दिनांक30/09/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–संबंधित।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित।
3. संबंधित चिकित्सक को विभागीय वैबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित है।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।